12.7.17 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट मोड़की में पेश हुई। प्रतिवादी क्रं. 9 से 12, 13 से 14, 16, 17 व 18 की तामिल हो चुकी है, बावजूद तामिल सूचना के उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी क्रं. 1 का जवाब दावा प्राप्त हो चुका है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2069 – 2072 ग्राम मोड़की के अनुसार ग्राम मोड़की के भूमि ख.नं. 1997, 3186, 3615/3187 व 3628/2788 किता – 4 कुल रकबा 1.38 हे. वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है तथा उक्त वर्णित भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। पक्षकारान द्वारा वाद क्रं. 348/16 एवं वाद क्रं. 5/2017 के द्वारा विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि उक्त वर्णित भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार होने के कारण उक्त वर्णित भूमियों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा अनुसार विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम मोड़की की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 1997, 3186, 3615/3187, 3628/2788 किता – 4 कुल रकबा 1.38 हे. का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में एक माह में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.7.17 को कैम्प कोर्ट मोड़की में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner